

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - धितीउगाह (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - उन्नावपुर



धारा संख्या - 136

प.सं. 254/25 तारख दिनांक 22/09/2025 निर्णय दिनांक 22/09/2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>उन्नावपुर</u>	<u>14</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>हस्ताक्षर मिमदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुश्रवा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उन्नावपुर</u> प.ह. <u>उन्नावपुर</u> खातासं <u>14</u> में वर्तमान प्रविष्ट वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिनिधि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल उन्नावपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन